न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 01/2020
निर्णय दिनांक

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकिशन
2. महेश चंद पुत्र रामकिशन
3. जगदीश नारायण पुत्र मांगीलाल
4. राधेश्याम पुत्र प्रताप
5. सीताराम पुत्र प्रताप
6. रमाकान्त पुत्र बिरदा
7. बाबूलाल पुत्र बिरदा
8. रामचन्द्र पुत्र बिरदा
9. गोपाल पुत्र बिरदा
10. रामा देवी पत्नि हनुमान सहाय
11. संतोष कुमार पुत्र हनुमान सहाय
12. रामकिशोर पुत्र हनुमान सहाय

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. प्रभाती देवी पुत्री मांगीलाल पत्नि मदनलाल
2. कानाराम पुत्र भोलू
3. पप्पू पुत्र भोलू
4. गणेश पुत्र भोलू
5. नाना देवी पत्नि सूज्या
6. लाला पुत्र सूज्या
7. मुकेश पुत्र सूज्या
8. भंवरलाल पुत्र नाथू
9. रामेश्वर पुत्र नाथू
10. हनुमान पुत्र नाथू
11. गोपाल पुत्र नाथू

समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 09.10.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर वाद पत्र संख्या 67/2017 उनवान प्रभाती देवी बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 67/2017 बउनवानी प्रभाती देवी बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवम् स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 365 एवम् 365/700 स्थित है जो नंबर मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शे में तो दर्शित है किन्तु जमाबंदी में उक्त नंबर अस्तित्व में नहीं है। वादीगण के उक्त खसरों के साबिक खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 365 का साबिक खसरा नंबर 306 रकबा 6 बिस्वा था तथा खसरा नंबर 365/700 का साबिक खसरा नंबर 307 था जिसका रकबा 4 बिस्वा था तथा मिलान क्षेत्रफल में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बीघा बिस्वा को हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर खसरा नंबर 365 का रकबा 6 बिस्वा अर्थात 8 एयर किया है तथा खसरा नंबर 365/700 का रकबा 4 बिस्वा के स्थान पर 5 एयर बनाया है अर्थात कुल 10 बिस्वा के स्थान पर नियमानुसार 0.13 हैक्टेयर भूमि मिलान क्षेत्रफल अनुसार सही बनाई गई तथा उक्त दोनो नंबरों को नये राजस्व नक्शे में दर्शित किया गया किन्तु इनका क्षेत्रफल नवीन राजस्व नक्शे में छोटा कर दिया गया। मिलान क्षेत्रफल व नक्शे में उक्त खसरे दर्शित करने के बावजूद जमाबंदी में खसरा नंबर 365 का रकबा 8 एयर के स्थान पर 10 एयर बता दिया गया तथा खसरा नंबर 365/700 को जमाबंदी में किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं दर्शाया गया अर्थात उक्त खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल व नक्शे में तो है किन्तु जमाबंदी में इसका अस्तित्व ही नहीं है इस त्रुटि की वजह से वादीगण की जमाबंदी त्रुटिपूर्ण है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार दुरूस्त होने योग्य है। वादीगण का साबिक खसरा नंबर 306 व 307 का राजस्व नक्शा पूर्णतया सही था तथा वादीगण आज भी अपने साबिक नक्शे अनुसार काबिज काश्त है किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने नये नक्शे को बनाते समय वादीगण के नक्शे को पूर्वी ओर की दिशा में छोटा कर दिया तथा प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 423 जिसके साबिक खसरा नंबर 308 है, में शामिल कर दिया अर्थात आज के नक्शे से नाप करने पर वादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण के नक्शे में से निकलता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहते है एवम् कुछ दिन पूर्व दुरूस्ती करवाने से साफ इंकार कर दिया इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर वादग्रस्त खसरा नंबर 365 रकबा 10 एयर के स्थान पर 8 एयर तथा खसरा नंबर 365/700 रकबा 5 एयर कर इसका वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर, इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि के साबिक नक्शे की सीमाओं अनुसार कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरन मौके से बेदखल नहीं करें तथा मौके की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

यथास्थिति बनाये रखे तथा कच्चा, पक्का निर्माण नहीं करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 09.10.2019 को निर्णय पारित कर, वादी वाद स्वीकार कर, डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 365 व 365/700 बाबत साबिक नक्शे के अनुरूप वर्तमान नक्शे में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा था, अपीलार्थी के खसरा नंबर 423 के संबंध में अनुतोष नहीं चाहा था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के अनुतोष पर ध्यान न देकर अपीलार्थी के खसरा नंबर 423 के संबंध में निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन से साबिक खसरा नंबर 306 का वर्तमान खसरा नंबर 365/700 का रकबा 0.08 हैक्टेयर व साबिक खसरा नंबर 307 का वर्तमान खसरा नंबर 365 का रकबा 0.05 हैक्टेयर बनाये जाने एवम् खसरा नंबर 423 का रकबा 0.16 के स्थान पर 0.13 हैक्टेयर किये जाने का निर्णय पारित किया है, उभयपक्षकारान् द्वारा इस बाबत सहमति प्रदान नहीं की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों को सही रूप से समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री दिनांक 09.10.2019 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नक्शे में दुरूस्ती हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई थी। अपीलार्थीगण का खसरा नंबर 423 का वास्तविक रकबा 0.13 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से 0.16 हैक्टेयर दर्ज हो रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 423 का रकबा 0.16 हैक्टेयर से 0.13 हैक्टेयर किये जाने का निर्णय विधिसंगत पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक नक्शा व वर्तमान नक्शा का अवलोकन कर, वर्तमान नक्शा में त्रुटि होना सही मानकर, दुरूस्ती के आदेश पारित किये है। अपीलार्थीगण ने मात्र विवाद बढाने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा था कि नये कायम किये गये प्रश्नगत आराजी के खसरा नंबरान् में खसरा नंबर 365 का रकबा 8 ऐयर के स्थान पर 10 ऐयर दर्शाया गया है जबकि खसरा नंबर 365/700 को जमाबंदी में किसी व्यक्ति के नाम नहीं दर्शाया गया है, उक्त खसरा नंबर, मिलान क्षेत्रफल व नक्शे में तो है किन्तु जमाबंदी में इसका अस्तित्व नहीं है जबकि खसरा नंबर 365/700 का रकबा 4 बिस्वा अर्थात 5 ऐयर बनाया गया था। वादी ने वाद के माध्यम से उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के खसरा नंबर 423 में, वादी के कम हुये रकबे को जाना दर्शित करते हुए, अपीलार्थी के खसरा नंबर 423 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से रकबा कम करते हुए रकबा 0.13 हैक्टेयर करने का निर्णय पारित किया गया है। इस सन्दर्भ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अध्ययन किया गया जिसमें वादी द्वारा अंकित किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे को बनाते समय वादीगण के नक्शे को पूर्वी ओर की दिशा में छोटा कर दिया तथा प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 423 जिसके साबिक खसरा नंबर 308 है, में शामिल कर दिया अर्थात आज के नक्शे से नाप करने पर, वादीगण का कब्जा प्रतिवादीगण के नक्शे में से निकलता है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद का अवलोकन किया गया जिसमें वाद के पैरा संख्या 5 के माध्यम् से, वादी के वाद के उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने नये नक्शे बनाते समय नक्शे को पूर्व की दिशा में छोटा कर दिया। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार को यह निर्देश नहीं दिये गये कि वे मौके पर खसरा नंबर 365 व 365/700 के सन्दर्भ में खसरा नंबर 423 जिसमें पूर्व की दिशा का हिस्सा जाना दर्शाया गया है, के नक्शा बरारी कर कोई रिपोर्ट पेश करते, तत्पश्चात् प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाता, मात्र जवाब वाद तहसीलदार के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण करते हुए, अपीलार्थी का रकबा कम करने का निर्णय पारित किया गया है जो उचित एवम् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय के लिए विधिनुसार यह आवश्यक था कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के निस्तारण से पूर्व तहसीलदार से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, पक्षकारान् से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, वाद का निस्तारण किया जाता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर, कानूनी त्रुटि कारित की गई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2019 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार से प्रश्नगत आराजीयात के सन्दर्भ में विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, पक्षकारान् से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 10/12/21 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर